# लय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

| | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 023 | 08.06.2023 | 15/12/25 |

न अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

## उनवान

1– श्याम सुन्दर आयु 34 वर्ष आत्मज रमणी शंकर माता द्रोपती बाई, जाति कुम्हार, निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

2– रेखा बाई आयु 30 वर्ष पुत्री रमणी शंकर माता द्रोपती बाई पत्नी शिव कुमार, जाति कुम्हार, निवासी दीगोद हाल बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(वादीगण)

**बनाम**

1– राधा बाई पत्नी जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी करवाड तहसील पीपल्दा हाल निवास घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2– कमलेश पिता रमेणी शंकर माता राधाबाई पत्नी चेतराम निवासी दीगोद हाल नोटाणा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

3– फूला बाई पुत्री गणेश लाल पत्नी नन्द किशोर जाति कुम्हार निवासी दीगोद हाल घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

4– कलावती पुत्री गणेश लाल पतनी कन्हैयालाल, जाति कुम्हार निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

5– मनोहर बाई पत्री गणेलाल जी पत्नी घासीलाल जी जाति कुम्हार निवासी दीगोद हाल पुलिस लाइन जयहिन्द नगर कोटा

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषण दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा**

## निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद में निम्न खसरा नम्बरान की भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 पेश है।

खसरा नम्बर 350 की 1–05 हेक्टर,खसरा नम्बर 506 की 0–26 हेक्टर,खसरा नम्बर 537 की 0–20 हेक्टर,खसरा नम्बर 537/1180 की 0–64 हेक्टर,खसरा नम्बर 679 की 0–41 हेक्टर, कुल 5 किता की 2–56 हेक्टर

यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में वादीगण के दादा गणेश लाल जी खाते में दर्ज चली आ रही थी। खातेदार गणेश लाल जी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 के पिता रमणी शंकर पुत्र, व प्रतिवादी नं0 पुत्रियां व कजोडी बेवा के नाम दर्ज हुई।

3– यह कि वादीगण के पिता रमणी शंकर जी का विवाह पूर्व में प्रतिवादी नं० 1 राधा बाई के साथ हुआ था। तथा राधा बाई से रमणी शंकर जी के एक पुत्री प्रतिवादी नं0 पैदा हुई। तथा आज से 40 वर्ष पूर्व प्रतिवादी न० 1 राधा बाई रमणी शंकर जी को छोड कर व तलाक देकर उसने जगन्नाथ प्रजापत निवासी करवाड के साथ नाता विवाह कर लिया तब से प्रतिवादी नं0 1 जगन्नाथ जी की पत्नी के रूप में उनके साथ निवास कर रही है। राधा बाई का रमणी शंकर जी की भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।

4– यह कि इसके पश्चात् रमणी शंकर जी ने द्रोपती बाई से दूसरा विवाह कर लिया ओर द्रोपती ने रमणी शंकर के नुत्फे से वादीगण को जन्म दिया तथा वादीगण की माता द्रोपती बाई की मृत्यु हो गयी तथा वादीगण के पिता रमणी शंकर जी का भी देहावसान हो गया है। रमणी शंकर जी की मृत्यु के बाद रमणी शंकर जी के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में हो गया।

5– यह कि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी न0 1 व 2 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 3–4–5 व कजोडी बाई का 4/5 हिस्सा दर्ज है। जो गलत है कजोडी बाई का देहावसान हो गया है और प्रतिवादी नं० 1 राधा बाई रमणी शंकर जी की पत्नी नहीं है तथा वह 40 वर्ष पूर्व ही रमणीशंकर जी को छोड कर जगन्नाथ के साथ नाता विवाह कर उसके साथ निवास कर रही है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में से मृतक मुस० कजोडी बाई व राधा बाई का नाम डिलीट किया जाना आवश्यक हो गया है।

6– यह कि उपरोक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हिस्से पर व प्रतिवादी नं0 3–4–5 का 3/4 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है इस कारण वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 3–4–5 को 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

7– यह कि प्रतिवादी नं० 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर उसके हिस्से की भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा है इस पर वादीगण ने प्रतिवादी न० 1 व 2 से प्रतिवादी नं0 1 व मृतक कजोडी बाई का नाम हटाने व वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 3–4–5 को 3/4 हिस्से का खातेदार दर्ज करवाने को दिनांक 28–4–2023 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने नाम हटाने से इन्कार कर दिया तथा अपने हिस्से की भूमि को रहन बेचान करने की धमकी दी जिसका कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने वादीगण को उक्त भूमि से बैदखल कर दिया व कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर उक्त भूमि को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द कर दिया गया तो इससे वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। तथा वादीगण का दावा पेशकरना ही बेकार हो जावेगा।

8– यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

यह कि वादीगण द्वारा दिनांक 28–4–2023 को प्रतिवादी नं० 1 व 2 से कार्ड में से प्रतिवादी न० 1 का नाम हटाने की कहने पर नाम हटाने से इन्कार भूमि रहन बेचान करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न प्य की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे

1– कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 350 की 1–05 हेक्टर, खसरा नम्बर 506 की 0–26 हेक्टर, खसरा नम्बर 537 की 0–20 हेक्टर, खसरा नम्बर 537/1180 की 0–64 हेक्टर, खसरा नम्बर 679 की 0–41 हे0, कुल 5 किता की 2–56 हे0 भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नं0 1 व मृतक कजोडी बाई का नाम डिलीट किये जाने की एंव वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 3–4–5 को 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि प्रतिवादी नं. 6 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

3– कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 350 की 1–05 हेक्टर, खसरा नम्बर 506 की 0–26 हेक्टर, खसरा नम्बर 537 की 0–20 हेक्टर, खसरा नम्बर 537/1180 की 0–64 हेक्टर, खसरा नम्बर 679 की 0–41 हेक्टर, कुल 5 किता की 2–56 हेक्टर भूमि को अथवा उसके किसी भाग को खुर्द बुर्दव रहन व बेचान नहीं करे। वादीगण को उक्त भूमि को काश्त करने से नहीं रोके ओर न किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे ओर न वैदखल करे। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे।

वादीगण की ओर से संलग्न दस्तावेज

1. नकल जमाबन्दी ग्राम देवपुरा सम्वत 2072–2075 खाता सं0 नया 353
2. नकल जमाबंदी ग्राम देवपुरा संवत 2063–67 खाता सं0 नया 243
3. नकल श्रमिक कार्ड
4. नकल भामाशाह कार्ड
5. नकल राशन कार्ड
6. नकल जनआधार कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 1व 2 बावजूद तलबी के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 की ओर से श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट द्वारा इकबालिया जवाब दावा मय वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली में तनकियात कायम नही किये जाकर पत्रावली को साक्ष्य पर नियत किया गया। साक्ष्य में pw 1 में श्याम सुन्दर पुत्र श्री रमणीशकर जाती कुम्हार निवासी दीगोद तथा pw 2 में रेखा बाई पुत्री रमणीशकर पत्नि शिवकुमार जाति कुम्हार निवासी दीगोद के प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

ादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र की ो ही अपनी बहस में दोहराया।पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात,के आधोपान्त न, अध्ययन व बहस के कथनों पर मनन एवं अन्य संलग्न दस्तावेजात का गहन यन उपरान्त वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 350 की 1–05 हेक्टर, खसरा नम्बर 506 की 0–26 हेक्टर, खसरा नम्बर 537 की 0–20 हेक्टर, खसरा नम्बर 537/1180 की 0–64 हेक्टर, खसरा नम्बर 679 की 0–41 हेक्टर, कुल 5 किता की 2–56 हेक्टर भूमि में से प्रतिवादी न0 1 व मृतक कजोडी बाई का नाम डिलीट किये जाने एवं वादीगण व प्रतिवादी न0 2 को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी न0 3,4,5 को 4/5 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दीगोद नियमानुसार राजस्व शुल्क वसूल करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

# मूल वाद में अन्तिम डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

## उनवान

आसीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

## उनवान

1– श्याम सुन्दर आयु 34 वर्ष आत्मज रमणी शंकर माता द्रोपती बाई, जाति कुम्हार, निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

2– रेखा बाई आयु 30 वर्ष पुत्री रमणी शंकर माता द्रोपती बाई पत्नी शिव कुमार, जाति कुम्हार, निवासी दीगोद हाल बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

**(वादीगण)**

**बनाम**

1– राधा बाई पत्नी जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी करवाड तहसील पीपल्दा हाल निवास घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2– कमलेश पिता रमेणी शंकर माता राधाबाई पत्नी चेतराम निवासी दीगोद हाल नोटाणा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

3– फूला बाई पुत्री गणेश लाल पत्नी नन्द किशोर जाति कुम्हार निवासी दीगोद हाल घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

4– कलावती पुत्री गणेश लाल पतनी कन्हैयालाल, जाति कुम्हार निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

5– मनोहर बाई पत्री गणेलाल जी पत्नी घासीलाल जी जाति कुम्हार निवासी दीगोद हाल पुलिस लाइन जयहिन्द नगर कोटा

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

**(प्रतिवादीगण)**

वादीगणकी ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषण दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा**

मिसल नं 34/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 350 की 1–05 हेक्टर, खसरा नम्बर 506 की 0–26 हेक्टर, खसरा नम्बर 537 की 0–20 हेक्टर, खसरा नम्बर 537/1180 की 0–64 हेक्टर, खसरा नम्बर 679 की 0–41 हेक्टर, कुल 5 किता की 2–56 हेक्टर भूमि में से प्रतिवादी न0 1 व मृतक कजोडी बाई का नाम डिलीट किये जाने एवं वादीगण व प्रतिवादी न0 2 को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी न0 3,4,5 को 4/5 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दीगोद नियमानुसार राजस्व शुल्क वसूल करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 15/12/20 को जारी किया गया।

| अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | रूपयै | पैसे | मुदालयह | रूप्ये | पैसे |
| नामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| वजूह | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| हन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| थ्मलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

उपखण्ड अधिकारी
दौगोद